# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 147ए/2025 G.C.M.S. No. 2025/688 दर्ज दिनांक : 18.09.2025**

**अपीलार्थिगण:**

1. कालूराम पुत्र केसा
2. पुखराज पुत्र केसा
3. भूराराम पुत्र केसा, जातियान पुरोहित, निवासीगण दासपा, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
4. झमूदेवी पुत्री केसा पत्नि जबरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी हाल जुजांणी, तहसील भीनमाल, हाल चैन्नई
5. रतन पुत्री केसा पत्नि ओटाराम, जाति पुरोहित, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
6. सुबटीदेवी पुत्री केसा पत्नि सांवलाराम, जाति पुरोहित, निवासी कोडी, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

1. दीपिकादेवी पत्नि मलाराम
2. पाताराम पुत्र समरथा, जातियान पुरोहित, निवासीगण दासपा, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल, जिला जालोर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2025 बअनवान दीपिकादेवी बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.08.2025**

**पैरोकार–**

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, श्री कार्तिक दवे, श्री रेणुका गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## निर्णय

**दिनांक: 30.03.2026**

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2025 बअनवान दीपिकादेवी बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने खातेदारी भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी भूमि सरहद मौजा दासपा के खसरा नम्बर–415 रकबा 0.36 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी मौजा दासपा में वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त व शामलाती दर्ज है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसमें वादीया का 1/4 प्रतिवादी संख्या–1 से 7 प्रत्येक का 1/14 यानि 1/2 प्रतिवादी संख्या–8 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी सामलाती हैं, मगर वादीया अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करती हैं। उपरोक्त भूमि का विधिवत रूप से आज दिन तक विधिक बंटवाडा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी सामलाती भूमि होने से काश्त करने व उपयोग–उपभोग करने में भयंकर रूप से परेशानी रहती हैं। हर समय आपसी विवाद होता रहता है तथा वादीया अपने हिस्से की भूमि में बंटवाडा नहीं होने से अच्छी तरह से उन्नत उपजाउ भी नहीं बना सकते है तथा बैंक आदि से ऋण को लेने में भी सामलाती भूमि होने से प्रायः परेशानी रहती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री में खर्चे आदि का कॉलम खाली हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 को फायदा पहुंचाने की नियत से जल्द बाजी में डिक्री जारी की गई हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा विभाजन प्रस्ताव जो अलग–अलग रंगो में न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मांगा गया था, वह प्रस्ताव मय नक्शा पत्रावली में उपलब्ध है। उस प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट में दीपिका कुमारी पत्नी मलाराम वादी व भूराराम पुत्र केसाराम पुरोहित प्रतिवादी के नाम अवश्य लिखे हैं, परन्तु भूराराम पुत्र केसाराम न तो विभाजन प्रस्ताव/मौका रिपोर्ट के वक्त उपस्थित ही नहीं था उसकी गैर मौजूदगी में तैयार किया है, मौका विभाजन प्रस्ताव में दीपिका देवी दो जगह हस्ताक्षर है, अन्य कहीं हस्ताक्षर नहीं हैं, न ही भूराराम पुत्र केसाराम के हस्ताक्षर है एवं नक्शा में भी अपीलान्ट सभी व रेस्पोंडेन्ट संख्या–02 के किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.06.2025 को नोटिस जारी किये उक्त नोटिसों पर यह लिखकर आया कि आसामी बाहर राज्य में रहते हैं तथा सुबटीदेवी रानीवाडा निवास करती हैं, घर बन्द है, उसके बाद दिनांक 12.06.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे जाते हैं, उन रजिस्टर्ड नोटिस पर 16.06.2025 को डाक कर्मचारियों से यह लिखवाकर यह लेने से इन्कार लिखवा दिया। जबकि अपीलान्ट संख्या–01 व 02 व 04 चैन्नई में व्यवसाय करते हैं एवं पिछले 3 महिनों से मारवाडा यानि अपने गांव दासपा आये ही नहीं तथा अपीलान्ट संख्या–03 गांव दासपा में ही रहता है व काश्त करता हैं। परन्तु उसको कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया मात्र लेने से इन्कार लिखवा दिया जबकि उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी या मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं करवाये तथा अपीलान्ट संख्या–05 जो भीनमाल रहती हैं। उसको भीनमाल में कोई नोटिस नहीं भेजा गया तथा अपीलान्ट संख्या–6 गांव कोडी में निवास करती है उसको कोडी में कोई नोटिस नहीं भेजा गया मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या–01 ने डाक कर्मचारियों से मिलावट कर आसामी ने लेने से इन्कार करना लिखवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 पाताराम का रजिस्टर्ड डाक से जो नोटिस अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ उस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

घर बन्द का अंकन है जिससे यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद के किसी भी प्रतिवादी को प्रोपर तामिल नहीं हुआ है। यह मान भी लिया जाये कि रजिस्टर्ड एडी को लेने से इन्कार किया है तो रेस्पोंडेन्ट संख्या–02 पाताराम का जो रजिस्टर्ड डाक का नोटिस है वो घर बन्द लिखते हुऐ रिटर्न हुए हैं उसको सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए तथा अपीलान्ट को भी सुनवाई का उचित अवसर देना चाहिए था जब सम्मन पर दिनांक 04.06.2025 को भेजे गये उसमें आसामी का बाहर राज्य में रहना बताया गया है एवं मात्र 8–9 दिन बाद रजिस्टर्ड नोटिस पर लेने से इन्कार का अंकन को मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2025 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली व वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 7 जोकि केसाजी की पुत्रियां हैं, का निवास स्थान ग्राम दासपा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर अंकित करते हुए एवं दीगर प्रतिवादीगण का पता भी ग्राम दासपा अंकित करते हुए सामान्य रीति से सम्मन प्रेषित किए गए। जिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण अपीलांट भूराराम द्वारा लेने से इंकार व प्रतिवादी संख्या 4 फौत होने व दीगर प्रतिवादीगण बाहर राज्य/अन्य स्थान पर निवास से अदम तामील का अंकन के साथ नोटिस पुनः प्राप्त हुआ। इसके बावजूद वादिया द्वारा प्रतिवादीगण के सही डाक पते के साथ नए सिरे से नोटिस प्रस्तुत नहीं कर ग्राम दासपा के ही पते पर पंजीकृत डाक से सम्मन प्रेषित कर दिए गए। जो घरबंद या पाने वाले के इंकार के कथित अंकन के साथ न्यायालय को पुनः प्राप्त हुआ। जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। जबकि अपीलमीमो में अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के दर्ज डाक पता एवं तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन पर की गई टिप्पणी से स्पष्ट है कि अपीलांट्स वस्तुतः ग्राम दासपा में निवासरत ही नहीं थें। अतः ऐसी स्थिति में वादिया द्वारा नवीन डाक पते के स्थान पर पुनः ग्राम दासपा के ही पते पर सम्मन प्रेषित कर देना व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर नहीं करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता तथा अपीलांट प्रतिवादीगण की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामील नहीं करवाया जाना स्पष्ट है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलांट की गैर मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जो विधिविरूद्ध होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

## आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2025 बअनवान दीपिकादेवी बनाम कालूराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.08.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र विधिनुरूप निर्णित व प्राथमिक डिक्री करें। अपीलांट्स को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल में दिनांक 11.05.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली